

न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकन्दाराऊ, हाथरस।

परिवाद संख्या—1242 / 2022

शिवानी बनाम अनुपम आदि

दिनांक 19.12.2023

पत्रावली पेश हुयी। बार—बार पुकार कराये जाने पर परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है और न ही कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी कई दिनांकों से अनुपस्थित है, ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी अपने वाद पर बल नहीं देना चाहता है। अतः अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। परिवादी का परिवाद उसकी अनुपस्थिति में में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

(अभिषेक चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिकन्दाराऊ, हाथरस।
आई0डी0 नं0—यू0पी0 3531